न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 03/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 08.01.2024
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

रमेश कुमार शर्मा आत्मज स्व. नाथूलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण आयु 68 वर्ष निवासी हाल म. नं. 3–ए–2 विकास नगर, बून्दी थाना कोतवाली तहसील एवं जिला बूंदी, राजस्थान

...अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, कोटा
2. उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड हिण्डोली जिला बून्दी।

...रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित : श्री महावीर प्रसाद बैरवा, अशोक वशिष्ठ, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 17.03.2025

अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट, हिण्डोली द्वारा जारी आदेश क्रमांक आर्म्स/17/3223 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 (तालिका क्रम सं 16 रमेश कुमार आ0 नाथूलाल शर्मा बनाम सरकार अनुज्ञापत्र सं0 1600) के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट, हिण्डोली द्वारा आदेश क्रमांक आर्म्स/17/3223 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 (तालिका क्रम सं 16 रमेश कुमार आ0 नाथूलाल शर्मा बनाम सरकार अनुज्ञापत्र सं0 1600) से अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र सं0 1600 मुताबिक थानाधिकारी, हिण्डोली रिपोर्ट "अनुज्ञापत्रधारी अन्यत्र निवास करने के कारण रिवोक किया जाना अपेक्षित है" के नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को रिवोक किये जाने का आदेश पारित किया गया।

2 उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट, हिण्डोली द्वारा आदेश क्रमांक आर्म्स/17/3223 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 (तालिका क्रम सं 16 रमेश कुमार आ0 नाथूलाल शर्मा बनाम सरकार अनुज्ञापत्र सं0 1600) से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मे पेश कर कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा–पत्र संख्या 1600 जारी किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर नवीनीकृत करवाया जाता रहा और अंतिम बार अपीलार्थी का उक्त अनुज्ञा–पत्र दिनांक 31.12.2013 तक नवीनीकृत करवाया गया। अपीलार्थी ने अपने उक्त अनुज्ञा–पत्र को नवीनीकृत करवाने हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष दिनांक 20.12.2013 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 23.12.2013 को आयुध शाखा के नाम भिजवाया गया। अपीलार्थी अपने उक्त अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के कार्यालय में समय–समय पर सम्पर्क करता रहा तो अपीलार्थी को बताया गया कि आपके अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण की कार्यवाही चल रही है और सूचना आपको भिजवा दी जावेगी। अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञा पत्र संख्या 1600 के नवीनीकरण में जब करीब 8 साल से भी अधिक का समय हो गया तो अपीलार्थी ने अपने उक्त अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु रेस्पोंडेण्ट नं. 2 के यहां पर आदेश शस्त्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.01.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका नकल आदेश दिनांक 18.01.2023 को प्राप्त हुआ तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र मुताबिक थानाधिकारी हिण्डोली रिपोर्ट के अनुज्ञापत्रधारी अन्यत्र निवास करने के कारण रिवोक किया जाना अपेक्षित है। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2013 में अपीलार्थी ने अपना वर्तमान निवास का पता म.नं. 3–ए–2 विकास नगर, बून्दी थाना कोतवाली तहसील एवं जिला बूंदी, राजस्थान अंकित किया था और विकास नगर बून्दी पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार में होने से पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञा पत्र के संबंध में कोई जांच नहीं की गई और अपीलार्थी को सुनवाई हेतु भी नहीं बुलाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा दिनांक 11.10.2017 को अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1600 के संबंध में पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलार्थी के विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों का हनन् किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 को निरस्त कर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा–पत्र संख्या 1600 के नवीनीकरण हेतु अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा–पत्र को नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2013 में अपीलार्थी ने अपना वर्तमान निवास का पता म.नं. 3–ए–2 विकास नगर, बून्दी थाना कोतवाली तहसील एवं जिला बूंदी, राजस्थान अंकित किया था और विकास नगर बून्दी पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार में होने से पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञा पत्र के संबंध में कोई जांच नहीं की गई और अपीलार्थी को सुनवाई हेतु भी नहीं बुलाया गया। अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञा पत्र संख्या 1600 के नवीनीकरण में जब करीब 8 साल से भी अधिक का समय हो गया तो अपीलार्थी ने अपने उक्त अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु रेस्पोंडेण्ट नं. 2 के यहां पर आदेश शस्त्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.01.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका नकल आदेश दिनांक 18.01.2023 को प्राप्त हुआ तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र मुताबिक थानाधिकारी हिण्डोली रिपोर्ट के अनुज्ञापत्रधारी अन्यत्र निवास करने के कारण रिवोक किया जाना अपेक्षित है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 को निरस्त कर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा–पत्र संख्या 1600 के नवीनीकरण हेतु अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा–पत्र को नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2013 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 11.10.2017 की जानकारी 8 वर्ष तक नहीं होने के विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलवी के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डोली को दिनांक 20.12.2013 को बन्दूक टोपीदार एक नाली सं0 1559 अनुज्ञापत्र सं0 1600 के दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डोली द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु जांच बाबत् पत्रांक 3678 दिनांक 01.01.2014 से थानाधिकारी, हिण्डोली को जांच रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा के रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखे जाने के उपरांत थानाधिकारी, हिण्डोली द्वारा आवेदक के कस्बा हिण्डोली में तलाश किये जाने के उपरांत भी नहीं मिलने पर चाल चलन के संबंध में रिपोर्ट करना संभव नहीं होना

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वर्णित किया गया। इसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट, हिण्डोली द्वारा आदेश क्रमांक आर्म्स/17/3223 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 (तालिका क्रम सं 16 रमेश कुमार आ0 नाथूलाल शर्मा बनाम सरकार अनुज्ञापत्र सं0 1600) से अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र सं0 1600 मुताबिक थानाधिकारी, हिण्डोली रिपोर्ट "अनुज्ञापत्रधारी अन्यत्र निवास करने के कारण रिवोक किया जाना अपेक्षित है" के नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को रिवोक किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट के तर्क के संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 11.10.2017 की जानकारी दिनांक 18.01.2023 को होने के संबंध में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब होने का कारण आदेश प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.01.2023 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नकल आदेश दि0 18.01.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी में आना वर्णित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट के उपरोत तर्क के संबंध में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 5 वर्ष से अधिक के विलम्ब से पेश की गई है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का उचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर मेटेंनेबल नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा